# कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव, बीकानेर

क्रमांकः एफ ( )कार्मिक / उवसवजी / 2023–24 / 3623 दिनांकः 15-12-2023

## कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव वन विभाग,राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.12 (वन) 2018 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 04.10.2022 एवं दिनांक 03.11.2022 में प्रदत्त निर्देशो के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेश एफ. 6 ( )2022 / कार्मिक–विविध / प्र.मु.व.स. / 1059–75 दिनांक 26.04.2023 की अनुपालना में इस मण्डल कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव बीकानेर के लिए स्वीकृत 2 नर्सिंग स्टॉफ (पशुधन सहायक / पशु चिकित्सा सहायक) के नवसृजित रिक्त पदों पर आवश्यक अस्थायी आधर पर (Urgent Temporary Basis) पर 02 पशुधन सहायकों की नियत पारिश्रमिक पर राशि रूपये 17700 / –प्रतिमाह की दर से तीन माह के लिए नियुक्तियों हेतु चयन बाबत् जिला स्तर पर श्रीमान, जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंषा अनुसार निम्नंकित प्रत्याशियों को पशुधन सहायक के रिक्त पदो के विरूध समेकित पारिश्रमिक के आधार पर राशि रूपये 17700 / –(अक्षरे रूपये सतरह हजार सात सौ मात्र) प्रतिमाह पर उनके कार्यग्रहण तिथि से तीन माह तक के लिए पशुधन सहायक का कार्य करने हेतु पूर्णतया अस्थायी रूप से लगाया जाता है।

| क्र. सं. | आवेदक का नाम | पिता / पति का नाम | जन्म दिनांक | पदस्थापन स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रामनरेश डांगा | श्री दर्गाराम डांगा | 19.06.2001 | उप वन संरक्षक वन्यजीव बीकानेर |
| 2 | श्याम सुन्दर | श्री रामस्वरूप | 18.08.1999 | उप वन संरक्षक वन्यजीव बीकानेर |

समेकित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, अवकाश (आकस्मिक अवकाश के अलावा) तथा वरिष्ठता आदि देय नहीं होगी तथा इनके समेकित पारिश्रमिक में से जी.पी.एफ / सी.पी.एफ.राज्य बीमा आदि की कटौती नही की जायेगी। कार्यस्थल पर कार्यभार संभालने हेतु कोई यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगा।

अभ्यर्थी का जिस जिले में चयन किया गया है उस जिले से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, अभ्यर्थी राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार के हकदार नहीं रहेगा।

चयनीत अभ्यर्थी उप वन संरक्षक वन्यजीव बीकानेर में जोईनिंग के समय प्रार्थी द्वारा कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र 04.10.2013 के अनुसाण में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने का वचन वद्धता (Undertaking) कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.20213 के अनुसार विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण की सूचना / दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में राशि रू.100 के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Kumar Chhalani
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.15 15:44:51 IST
Reason: Approved

चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक की 05 दिवस की अवधि में अपने पदस्थापन वनमण्डल वन्यजीव बीकानेर पर उपस्थिति देनी अनिवार्य होगी अन्यथा उसका यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व अन्य जानकारी में भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(संदीप कुमार छलानी)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव, बीकानेर

क्रमांकः समसंख्यक/3624-35 दिनांकः– 15/12/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान जयपुर।
2– श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव एवं प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
3– श्रीमान शासन सचिव,पशुपालन विभाग शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर।
4– श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर।
5– श्रीमान जिला कलक्टर बीकानेर।
6– रजिस्ट्रार महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर।
7– DCF (IT) जयपुर अरण्य भवन को प्रेषित कर निवेदन है कि, वेबसाइट पर उक्त सूचना प्रकाशित कराने का कष्ट करावें।
8– संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग,बीकानेर।
9– कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर।
10– संबंधित अभ्यर्थी श्री.........................................
11–रक्षित पत्रावली।

उप वन संरक्षक
वन्यजीव, बीकानेर

RajKaj Ref
5188915

O/C

Signature valid
Digitally signed by Sandeep Kumar Chhalani
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.12.15 1?:44:51 IST
Reason: Approved